Note for Pad

Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited has been established with the mandate of providing contractual manpower in all Government Departments/ Boards/ Corporations etc. through online portal in a transparent manner based on notified criteria with the specific focus on the need to provide opportunities to Antodya families in the State. The Government had an apprehension that the contractual employees working through the contractors may not be getting adequate remuneration, facility of EPF, ESI etc. Therefore, Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited has been established by the Government with the aim of removing such irregularities and anomalies and thus earlier exploitation of manpower by Private contractor has been removed.

Haryana Kaushal Rozgar Nigam, in the process of providing contractual manpower focuses on:

- ❖ Uplifting youth from Antyodya families.
- ❖ Facilitating timely payment of remuneration and benefits to deployed manpower.
- ❖ Ensuring adherence to the reservation policy of the Government.

Deployments under HKRNL are being done as per Deployment of Contractual Persons Policy-2022 dated 30.6.2022, available on the Haryana Government's website. Deployments under HKRNL are being done through a tech enabled online portal in a completely transparent manner and without any human intervention. Remuneration of contractual employees is being disbursed directly in their bank accounts by the Nigam, which shows the robustness, strength and transparency of the system in-line with the Government’s guidelines.

The Nigam has developed a portal having following salient features:

i) All Government organizations can raise indent online, using their login/sub-login which will be approved by Finance department and forwarded to HKRNL for processing and deployment.

ii) Shortlisting and Selection of candidates through a tech-enabled system-driven on the basis of a ranking matrix approved under the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 dated 30.6.2022 of Government of Haryana.

iii) The existing contractual manpower working regularly as on 31.03.22 working in different Government organizations through the contractors are being ported to the Nigam portal as per the terms of the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 dated 30.6.2022 of Government of Haryana.

iv) The payment of wages to the manpower is also done through the online portal

v) All statutory compliances relating to labour welfare etc are also being taken care of.

The selection / shortlisting of candidates by the Nigam is being done through the online portal, leaving no scope for any manual intervention, in a transparent way. Thus, educated youth of the state are provided with the opportunity of registration on the Haryana Kaushal Rozgar (HKRNL) Portal as detailed below.

- The educated youth having prior experience in any Government organizations/ Board/ Corporations etc (but not currently working) are given opportunity to register on the portal and their claimed experience is verified online from DDOs of respective organisations through the HKRNL Portal. The verified candidates from the pool of such registered candidates are considered for deployment on priority basis.
- The candidates which do not have any prior experience in any government entities are also given an opportunity to register themselves on the HKRNL portal through public advertisement. Such advertisements are published when sufficient number experienced candidates are not available in the registered pool of candidates of HKRNL portal against the demand of various departments.
- The selection criteria adopted by the Haryana Kaushal Rozgar Nigam (HKRN) for deployment is duly approved by the Human Resource Department (HRD) Govt. of Haryana and is available in deployment of contractual person policy 2022 dated 30.06.2022.

  While selecting candidate against a job requisition, First priority goes to the candidates with verified pre-government working experience. However, if experienced candidate is not available, then advertisement candidates are considered based on following scoring criteria.

Selection and Scoring criteria to be adopted preparing merit for job activities

Sr	Parameter	Max score (points)
1	Weightage on the basis of annual income of the family from all sources of the candidate (as per PPP) *Scoring parameter:* *Income upto Rs. 1,80,000 = 40* *From Rs. 1,80,001 – 2,50,000 = 30* *From Rs. 2,50,001 – 4,00,000 = 20* *From Rs.4,00,001 – 6,00,000 = 10*	40
2	Weightage of Age of candidate (as per PPP) *Scoring parameter:* *From 18 to 24 years= 5 points* *Above 24 to 30 years= 10 points* *Above 30 to 36 years= 15 points* *Above 36 to 42 years = 10 points* *Above 42 years= 0 points*	15
3	**Skill Qualification beyond essential qualification (NSQF Aligned relevant certificate)**	20
4	Weightage of Socio-Economy criteria	5
5	**Common Eligibility Test (CET) written exam score:** Weightage@10% of percentage marks secured in written exam of CET prescribed for a post equivalent to or higher than the job role	10
6	Ease of deployment/Weightage of residence of same district (as per PPP) against the requisition/indent	10
7	Weightage to beneficiaries of Mukyamantri Antodaya Parivar Utthan Yojana (MAPUY)	50
	Total	**150**

Accordingly, the deployment of manpower is made on merit bases and in a transparent manner through a tech enabled online system.

चर्चा हेतु टिप्पणी

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों आदि में अनुबंधित श्रमशक्ति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अधिसूचित मानदंडों के आधार पर अंत्योदय परिवारों को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने के साथ की गई है। राज्य सरकार को आशंका थी कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक, ईपीएफ, ईएसआई आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए ऐसी अनियमितताओं और विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है और इस प्रकार पूर्व में निजी ठेकेदार द्वारा श्रमशक्ति का शोषण समाप्त कर दिया गया है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम, संविदा श्रमशक्ति प्रदान करने और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया में:

(क) अंत्योदय परिवारों के युवाओं का उत्थान।

(ख) तैनात श्रमशक्ति को पारिश्रमिक और लाभों के समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करना।

(ग) सरकार की आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना।

एच०के०आर०एन०एल० के तहत नियुक्ति हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति, 2022 (Deployment of Contractual Persons Policy,2022 के अनुसार की जा रही है। एच०के०आर०एन०एल० के तहत नियुक्ति एक उच्च तकनीकी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना की जा रही है। अनुबंधित कर्मचारियों के मेहनताने का वितरण सीधे उनके खातों में किया जा रहा है, जो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप प्रणाली की मजबुती और पारदर्शिता को दर्शाता है।

निगम ने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं वाला एक पोर्टल विकसित किया है:

i) सभी सरकारी संगठन अपने लॉगिन/उप-लॉगिन का उपयोग करके ऑनलाइन श्रमशक्ति की मांग कर सकते हैं, जिसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उनकी प्रोसेसिंग और नियुक्तियों के लिए एच०के०आर०एन०एल को भेजा जाएगा।

ii) हरियाणा सरकार की अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति, 2022 (Deployment of Contractual Persons Policy,2022 के तहत रैंकिंग मैट्रिक्स के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग और चयन प्रकिया को उच्च तकनीक प्रणाली के माध्यम से लागू किया गया है।

iii) हरियाणा सरकार की अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति, 2022 (Deployment of Contractual Persons Policy,2022 की शर्तों के अनुसार, विभिन्न सरकारी संगठनों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत सभी मौजूदा अनुबंधित श्रमशक्ति को नियमित रूप से काम कर रहे निगम पोर्टल पर पोर्ट किया जा रहा है।

iv) श्रमशक्ति को मजदूरी का भुगतान भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है

v) श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी कानूनी नियमों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

निगम द्वारा उम्मीदवारों का चयन/शॉर्टलिस्टिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शी तरीके से किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

इस प्रकार , राज्य के शिक्षित युवाओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार के पोर्टल पर पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाता है-

- किसी भी सरकारी संगठन/बोर्ड/निगम आदि (लेकिन वर्तमान में काम नहीं कर रहे) में पूर्व अनुभव रखने वाले शिक्षित युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने का अवसर दिया जाता है और उनके दावा किए गए अनुभव को पोर्टल के माध्यम से संबंधित संगठनों के डीडीओ से ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। ऐसे पंजीकृत उम्मीदवारों के पूल से सत्यापित उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।
- जिन उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी संस्था में कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उन्हें भी सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से एच०के०आर०एन०एल० पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे विज्ञापन तब प्रकाशित किए जाते हैं जब विभिन्न विभागों की मांग के विरुद्ध एच०के०आर०एन०एल० पोर्टल के पंजीकृत उम्मीदवारों के पूल में पर्याप्त संख्या में अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।
- Deployment के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) द्वारा अपनाए गए चयन मानदंड को मानव संसाधन विभाग (HRD) सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है जो हरियाणा सरकार की अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति, 2022 (Deployment of Contractual Persons Policy,2022) में उपलब्ध है।

नौकरी की मांग के अनुसार उम्मीदवार का चयन करते समय, पहली प्राथमिकता सत्यापित पूर्व-सरकारी कार्य अनुभव वाले उम्मीदवारों को दी जाती है। हालांकि, यदि अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर विज्ञापन के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।

अनुबंधित रोजगार प्रदान करने के लिए मेरिट तैयार करने हेतू चयन और स्कोरिंग प्रकिया

क्रम संख्या	**मानदंड**	**अधिकतम अंक (बिंदु)**
1	उम्मीदवार के सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय के आधार पर (पीपीपी के अनुसार) *अंक:* *1,80,000 रुपये तक आय = 40* *1,80,001 रु. से 2,50,000 रु.तक = 30* *2,50,001 रु. से 4,00,000 रु. तक = 20* *4,00,001 रु. से 6,00,000 रु. तक = 10*	40
2	उम्मीदवार की आयु के आधार पर (पीपीपी के अनुसार) *अंक:* *18 से 24 वर्ष = 5 अंक* *24 से 30 वर्ष से ऊपर = 10 अंक* *30 से 36 वर्ष से ऊपर = 15 अंक* *36 से 42 वर्ष से ऊपर = 10 अंक* *42 वर्ष से ऊपर = 0 अंक*	15
3	आवश्यक योग्यता के अलावा कौशल योग्यता (NSQF से संबधित प्रमाण पत्र)	20
4	सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर अंक	5
5	**सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) लिखित परीक्षा अंक:** नौकरी की भूमिका के समान या उससे अधिक पद के लिए निर्धारित सीईटी की लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का भार@10%	10
6	नियुक्ति में आसानी/समान जिले के निवास स्थान (पीपीपी के अनुसार) के आधार पर अंक	10
7	मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (एम.ए.पी.यू.वाई.) के लाभार्थियों के आधार पर अंक	50
	कुल	**150**

तदनुसार, उच्च तकनीकी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से योग्यता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से श्रमशक्ति की नियुक्ति की जाती है।